सं0: BSDM/RTD-161/2022 1254 दिनांक 17.6.25

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

!!अधिसूचना!!

विषयः भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती योजना के अन्तर्गत प्रति केन्द्र Performance Bank Guarantee के सम्बन्ध में।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार कौशल विकास मिशन के शाषी पर्षद की 19वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती योजनान्तर्गत सम्मिलित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा स्थापित या भविष्य में स्थापित होने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये प्रति केन्द्र पचास हजार रुपये मात्र (₹50,000/–) Performance Guarantee के रुप में लिया जाना निर्धारित किया गया है। अतएव, उक्त के आलोक में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को निदेश दिया जाता है कि:

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 में निविदा प्रक्रिया के उपरांत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चयनित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को जारी Letter of Award (LOA) में वर्णित प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्र या केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी स्वीकृति विहित प्रपत्र (अनुलग्नक 1) में देते हुए प्रति केन्द्र Performance Guarantee की निर्धारित राशि Demand Draft के रुप में जमा करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरांत ही बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

2. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये नवीनीकृत केन्द्रों से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा नये बैच शुरु किये जाने के पूर्व प्रत्येक स्थापित केन्द्र/केन्द्रों के लिये विहित प्रपत्र (अनुलग्नक 2) में विवरणी देते हुए निर्धारित Performance Guarantee की राशि Demand Draft के रुप में जमा करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरांत ही बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा नये प्रशिक्षण बैच का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

3. Demand Draft की राशि "बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, पटना" के नाम पर देय होगी।

4. उपर्युक्त के आलोक में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी द्वारा जमा की गयी Performance Guarantee की राशि जब्त कर ली जायेगी, यदि:
   a. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रकाशित निविदा अथवा एकरारनामा में वर्णित शर्तों या बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्धारित नियमों / मानकों का उल्लंघन किया जाता है।
   b. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी आवंटित लक्ष्य को ससमय पूरा नहीं किया जाता है।
   c. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्लेसमेण्ट सम्बन्धी लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है।

d. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा कौशल प्रशिक्षण या मूल्यांकन के समय अनैतिक व्यवहार किया जाता है।

e. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य प्रकार की अनियमितता के कारण परियोजना एवं मिशन की छवि को क्षति पहुँची है।

उपर्युक्त पर सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

16/6/25

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन

अनुलग्नक 1:
Letter of Award (LoA) में वर्णित प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्र या केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी स्वीकृति हेतु प्रपत्र

योजना का नामः भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती

संस्था का नामः			
संस्था का पंजीकृत पताः			
संस्था के प्रतिनिधि का नामः			
संस्था के प्रतिनिधि का पदः			
संस्था के प्रतिनिधि का मोबाईल नं0 एवं ई–मेलः			
बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चयनित संस्था को भेजे गए LoA की विवरणी			
LoA की संख्या एवं दिनांकः			
LoA में वर्णित जिला का नाम	LoA में वर्णित कोर्स का नाम (जिलावार 1 से अधिक आवंटित कोर्स को एक साथ लिखें)	जिलावार कुल लक्ष्य	जिलावार प्रस्तावित कुल केन्द्रों की संख्या
	कुल योगः		

स्वघोषणाः

एतद् द्वारा सूचित करना है कि मैं ....(नाम), ...(पदनाम), ...(संस्था का नाम) उपरोक्त वर्णित प्रपत्र में आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कुल .... (संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले केन्द्रों की कुल प्रस्तावित संख्या) प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की सहमति अपने संस्था की ओर से बिहार कौशल विकास मिशन को प्रदान करता/करती हूँ एवं तदालोक में प्रति केन्द्र 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) की दर से कुल ₹..(राशि शब्दों में– .... मात्र) बिहार कौशल विकास मिशन को डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) सं0 .... दिनांकः .... के माध्यम से अदा करता/करती हूँ। उक्त डीडी की प्रति इस विपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

स्थानः

दिनांकः

अनुलग्नक 2:

Letter of Award (LoA) में वर्णित प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध स्थापित किये गये/स्थापित होने वाल केन्द्र या केन्द्रों के विरुद्ध PBG जमा करने की स्वीकृति हेतु प्रपत्र

योजना का नाम: भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती

संस्था का नाम:			
संस्था का पंजीकृत पता:			
संस्था के प्रतिनिधि का नाम:			
संस्था के प्रतिनिधि का पद:			
संस्था के प्रतिनिधि का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल:			
बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चयनित संस्था को भेजे गए LoA की विवरणी			
LoA की संख्या एवं दिनांक:			
LoA में वर्णित जिला का नाम	LoA में वर्णित कोर्स का नाम (जिलावार 1 से अधिक आवंटित कोर्स को एक साथ लिखें)	जिलावार कुल लक्ष्य	जिलावार स्थापित / स्थापित होने वाले कुल केन्द्रों की संख्या*
	कुल योग:		

(* वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये नवीनीकृत केन्द्रों की कुल संख्या एवं स्थापित होने वाले नये केन्द्रों की संख्या मिलाकर)

स्वघोषणा:

एतद् द्वारा सूचित करना है कि मैं ....(नाम), ...(पदनाम), ...(संस्था का नाम) उपरोक्त वर्णित प्रपत्र में आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्थापित एवं नवीनीकृत/स्थापित होने वाले कुल .... (केन्द्रों की कुल संख्या) प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रति केन्द्र 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) की दर से कुल ₹........................ ....(राशि शब्दों में– .... मात्र) बिहार कौशल विकास मिशन को डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) सं0........ दिनांक: .... के माध्यम से अदा करता/करती हूँ। उक्त डीडी की प्रति इस विपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

स्थान: (हस्ताक्षर एवं मुहर)

दिनांक: